भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2543
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण आबादी का प्रवासन

2543. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोज़गार प्रवासन का एक प्रमुख कारण है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार किस प्रकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रही है और पलायन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण लोगों के लिए उनके मूल स्थानों पर बेहतर रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित कर रही है;

(घ) सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि ग्रामीण युवा अपने गाँवों में ही रह सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें और शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम हो सके,

(ङ) क्या सरकार द्वारा उठाए गए उपाय पलायन को रोकने में सहायक रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (च): ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन अक्सर बेहतर रोज़गार और आजीविका के अवसरों की तलाश में होता है। इस समस्या से निपटने के लिए , सरकार ने ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने हेतु एक बहुआयामी रणनीति अपनाई

है। इसमें बेहतर बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करना , क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए संसाधनों का समान वितरण , रोज़गार सृजन, कौशल विकास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, भूमि सुधार, साक्षरता बढ़ाना और वित्तीय सहायता एवं ऋण सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना आदि शामिल हैं।

जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का सवाल है , यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) जैसी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लागू कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाना है , इसके लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना , न्यूनतम गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करना , स्व-रोज़गार को बढ़ावा देना , युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यवसायों और उद्यमिता कौशलों में कुशल बनाना , बुनियादी ढाँचे का विकास और सामाजिक सहायता प्रदान करना शामिल है। प्रवासन को कम करने में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली कुछ योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं: -

i. मनरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोज़गार प्रदान करके परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाती है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को उस समय तात्कालिक विकल्प के रूप में आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराती है जब बेहतर रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (31.07.2025 तक) में , कुल 3.95 करोड़ परिवारों ने रोज़गार प्राप्त किया है और इस योजना के तहत कुल 112.55 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।
ii. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसका लक्ष्य 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, इकाई सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा योजना के तहत 90/95 श्रम-दिवस अकुशल मजदूरी का प्रावधान है। पीएमएवाई-जी के तहत एक आवास के निर्माण से लगभग 201 श्रम-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होता है , जिसमें 56 कुशल, 34 अर्ध-कुशल और 111 अकुशल श्रम-दिवस शामिल हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 3 लाख (लगभग) ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है। पीएमएवाई-जी के तहत , आवास के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के उत्पादन और उनके परिवहन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होता है।

iii. पीएमजीएसवाई का उद्देश्य पात्र असम्बद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे स्थानीय और निकटवर्ती शहरी केंद्रों में बाजारों और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच संभव हो सके, दैनिक आवागमन संभव हो सके, इससे स्थायी प्रवास में कमी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समग्र ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हो सके और साथ ही गरीबी उन्मूलन , स्वरोजगार सृजन और ग्रामीण उद्यमिता में महत्वपूर्ण योगदान हो सके।

iv. ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार लाने और इन परिवारों को उनके सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन हेतु संगठित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम को कार्यान्वित कर रहा है। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एससचजी) में संगठित करना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में तब तक निरंतर सहयोग और पोषण प्रदान करना है जब तक कि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और वे गरीबी से बाहर न आ जाएँ। 30 जून, 2025 तक, यह मिशन 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 745 जिलों के 7145 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख एससचजी में संगठित किया गया है।

v. यह मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में दो योजनाओं , डीडीयूजीकेवाई और आरएसईटीआई, का भी कार्यान्वयन कर रहा है। आरएसईटीआई के अंतर्गत लगभग 70 स्वीकृत पाठ्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सकता है।

vi. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का उद्देश्य देश में वर्षा आधारित और बंजर भूमि का विकास करना है जिससे कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिले। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-2 के अंतर्गत , 2022-23 से 2024-25 तक, 1.3 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/जीर्णोधार किया गया है , 1.90 हेक्टेयर भूमि को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है , 13.42 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया गया है और 189.96 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, भारत सरकार ने व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जैसे , प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) , प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टार्टअप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना आदि कई स्व-रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। ये पहलें लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने हेतु वित्तीय सहायता , कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करती हैं।

ये सभी उपाय लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने , अपने निवास स्थान के निकट आजीविका कमाने और अपने जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रकार ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होते हैं।